

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 21 (1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक : 22-05-2014

—: आदेश :—

श्री मदन लाल बिजारणिया, सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी में 'जी' श्रेणी की वरिष्ठता 4 एवं सेवानिवृत्ति 31.7.2033 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर पूर्व में आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/1, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर स्वतंत्र राजकीय आवास संख्या जी-679, गांधीनगर, जयपुर का निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और बहुली निधम् 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बधूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पनी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की रिक्षति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चौकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। उसका मकान किराया भत्ता यथा उस क्षेत्र में अनुच्छेद हो तो रोक दिया जायेगा।
- साम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा प्रियत होने वाली तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रत्युत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक वही अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक वही अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राजस्थान की ओज्जा से,

(राजेन्द्र जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला, कलकटा, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- वितीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- प्रबोध निदेशक, राजकार्म, प्रथम तल, यौजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की येदसाइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिकारी अधिकारी, सा०० निर्मित विभाग/जान स्वा० अधिकारी विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० गांधीनगर, जयपुर।
- सहायक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
- साम्बन्धित कर्मचारी, श्री मदन लाल बिजारणिया, सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि परिवर्तित आवास जी-679, गांधीनगर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास 5/1, गांधीनगर, जयपुर को रिक्त करने का श्रम करें।
- निजी सचिव, आतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- प्रधान पत्राधिकारी।

मुंगी
(मुन्नलाल शर्मा) २२/५/१४
सहायक शासन सचिव